

संशोधित प्रारम्भिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी

धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

1- श्री मोहनलाल पिता श्री गोविन्दराम असावा निवासी पुर हॉल निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर
रोड, भोपालगंज भीलवाडा

--वादी

बनाम

1- श्री मदनलाल पिता श्री गोविन्दराम असावा मृतक के कायम मुकाम:-

1/1-ओमप्रकाश पिता मदनलाल असावा निवासी पुर, हॉल निवासी राजस्थान सोसायटी,
कमश्नर ऑफिस के सामने शाहीबाग,अहमदाबाद(गुजरात)

1/2-प्रदीपकुमार पिता मदनलाल असावा निवासी पुर हॉल निवासी राजस्थान सोसायटी,
कमश्नर ऑफिस के सामने शाहीबाग,अहमदाबाद(गुजरात)

2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाडा (राज0)

--प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 रा0टि0एक्ट

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


प्रकरण संख्या 42/2015 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक 03.09.2020

वादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित व प्रतिवादीगण- उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 03.9.2020 को पीठासीन अधिकारी धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु), सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और संशोधित प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है -

ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 4358, 5157, 9498/4359, किता 03 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा में बंटवाडा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बटवाडा प्रस्ताव तैयार के संबंध में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा दिनांक 6.03.2020 को प्रस्तुत गया जिसे स्वीकार किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)
न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा जिला भीलवाडा
घायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी

उनवान

1- श्री मोहनलाल पिता श्री गोविन्दराम असावा निवासी पुर हॉल निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर रोड,
भोपालगंज भीलवाडा

---वादी

बनाम

1- श्री मदनलाल पिता श्री गोविन्दराम असावा मृतक के कायम मुकाम:-
1/1-ओमप्रकाश पिता मदनलाल असावा निवासी पुर, हॉल निवासी राजस्थान सोसायटी, कमश्नर
ऑफिस के सामने शाहीबाग,अहमदाबाद(गुजरात)
1/2-प्रदीपकुमार पिता मदनलाल असावा निवासी पुर हॉल निवासी राजस्थान सोसायटी, कमश्नर
ऑफिस के सामने शाहीबाग,अहमदाबाद(गुजरात)
2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाडा (राज0)

---प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 रा0टि0एक्ट
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 42/2015 राजस्व वाद
निर्णय दिनांक 03.09.2020

वादी की और से उपस्थित अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना व प्रतिवादीगण के --- मे
इस वाद के आज दिनांक 03.09.2020 को घायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) न्यायालय सहायक
कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री
दी जाती है कि - और इस वाद के मामले में लेखो प्रतिशत रुपये की राशि आज दिनांक से वसूली
तारीख तक उस पर प्रतिशत --- को दी जावे।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय
की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित
निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं उसी
अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1-वादी:-मोहनलाल आत्मज श्री गोविन्दराम असावा निवासी पुर हॉल लक्ष्मीनारायण मन्दिर रोड भोपालगंज
भीलवाडा तहसील व जिला-भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज
की जावें।

| आराजी नं. | रकबा | लगान |
|-----------|----------------|------|
| 5157 | 2.05 | - |
| 4358 | 0.11 | - |
| 9498/4359 | 2.00 | - |
| किता-3 | रकबा 4.16 बीघा | - |

2-प्रतिवादीगण:-सं.01 ओमप्रकाश पिता मदनलाल असावा (2) प्रदीपकुमार पिता मदनलाल असावा निवासी
पुर हॉल निवासी राजस्थान सोसायटी कमश्नर ऑफिस के सामने शाहीबाग, अहमदाबाद(गुजरात) के
नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

| आराजी नं. | रकबा | लगान |
|-----------|----------------|------|
| 5157/1 | 2.05 | - |
| 5358/1 | 0.11 | - |
| 4359/1 | 2.00 | - |
| किता-3 | रकबा 4.16 बीघा | - |

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना
वहन करें।

(घायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर